



# DWARIKESH SUGAR INDUSTRIES LIMITED

Corp. off.; 511, Maker Chambers V, 221, Nariman Point, Mumbai – 400021. Tel.: 2283 2486, 2204 2945, Fax: 2204 7288  
E Mail: dsilbom@dwarikesh.com Website: www.dwarikesh.com, CIN: L15421UP1993PLC018642

REF: DSIL/2025-26/081

July 09, 2025

Corporate Relationship Department  
BSE Limited  
Phiroze Jeejeebhoy Towers  
Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001  
Fax: 22723 2082 /3132

National Stock Exchange of India Limited  
“Exchange Plaza”  
Bandra – Kurla Complex,  
Bandra [E], Mumbai - 400 051

**Scrip Code - 532610**

**Scrip Code - DWARKESH**

**Subject: Intimation under Regulation 30 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 – Fatal Accident and Compounding of Offence under Factories Act**

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III, Part A, Para B of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we wish to inform you of the following:

A fatal accident occurred in the DN Boiling House of our factory at DwariKesh Nagar, Tehsil Nagina, District Bijnor, Uttar Pradesh, where Mr. Tejpal Singh, serving as Head Fitter, suffered critical burn injuries due to the sudden detachment of the bottom of one Semikeshner vessel. This incident caused the release of a large volume of hot water. Despite medical efforts, Mr. Singh unfortunately succumbed to his injuries.

An inspection was carried out by the Assistant Director of Factories, who, through his inspection note, held the company liable under Section 31(2) read with Rule 56 of the Uttar Pradesh Factories Rules, 1950.

On the recommendation of the Assistant Director of Factories, the Chief Director, Uttar Pradesh, passed an order dated 8th July 2025, allowing the offence to be compounded, considering it was the company's first such offence under the Factories Act. A total penalty of ₹2,00,000 (₹1,00,000 each on the Occupier and Factory Manager) was imposed, and the payment has been duly made to the Government Treasury on 9th July 2025 via Transaction ID SRM250002626. Acknowledgment of the payment is available as enclosed.

## **Materiality Justification:**

Although the financial impact is not material, the event is being disclosed owing to its regulatory, operational, and reputational significance. The company considers this disclosure appropriate in adherence to Regulation 30 and in the spirit of good governance.



# DWARIKESH SUGAR INDUSTRIES LIMITED

---

Corp. off.; 511, Maker Chambers V, 221, Nariman Point, Mumbai – 400021. Tel.: 2283 2486, 2204 2945, Fax: 2204 7288  
E Mail: [dsilbom@dwarikesh.com](mailto:dsilbom@dwarikesh.com) Website: [www.dwarikesh.com](http://www.dwarikesh.com), CIN: L15421UP1993PLC018642

Further, the company has initiated a comprehensive internal safety audit and is implementing preventive and corrective measures across all factory units to avoid recurrence of such incidents.

This is for your information and record.

Thanking you,  
Yours faithfully

**B. J. Maheshwari**  
Managing Director & CS cum CCO  
(DIN: 00002075)

Encl: As above.



# DWARIKESH SUGAR INDUSTRIES LIMITED

Corp. off.; 511, Maker Chambers V, 221, Nariman Point, Mumbai – 400021. Tel.: 2283 2486, 2204 2945, Fax: 2204 7288  
E Mail: dsilbom@dwarikesh.com Website: www.dwarikesh.com, CIN: L15421UP1993PLC018642

## Annexure – A

**Disclosure as per Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015**

Particulars	Details
<b>Name of the authority(s)</b>	Chief Director, Uttar Pradesh (on recommendation of Assistant Director, Factories)
<b>Nature and details of the action(s) taken or orders passed</b>	Compounding of offence under Section 31(2) read with Rule 56 of the Uttar Pradesh Factories Rules, 1950 due to a fatal accident. Penalty of ₹2,00,000/- imposed (₹1,00,000 each on the Occupier and Factory Manager).
<b>Date of receipt of direction or order, including any ad-interim or interim orders, or any other communication from the authority</b>	July 8, 2025
<b>Details of the violation(s)/contravention(s) committed or alleged to be committed</b>	Regulatory non-compliance under the Factories Act due to a fatal accident, caused by mechanical failure in the DN Boiling House, resulting in death of a factory employee.
<b>Impact on financial, operational or other activities of the listed entity, quantifiable in monetary terms to the extent possible</b>	No material financial impact. The penalty amount of ₹2,00,000 has been paid. However, the incident has regulatory and reputational significance. Preventive measures and internal safety audits have been initiated.

## कार्यालय-निदेशक कारखाना, उ०प्र०, जी०टी० रोड, कानपुर।

पत्र संख्या **1437** एफ/आई०ई०/राघा०दुर्घा०/कम्पाउण्डिंग/

दिनांक-08-07-2025

:: आदेश ::

कारखाना मेसर्स द्वारिकेश शुगर एण्ड इण्डस्ट्रिज लि०, (द्वारिकेश नगर) बुन्दकी तहसील नगीना, जिला बिजनौर में दिनांक 15.03.2025 को कर्मकार श्री तेजपाल सिंह पुत्र श्री करन सिंह, हेड फिटर के साथ घटित संघातक दुर्घटना की जांच श्री सुरेन्द्र बहादुर, सहायक निदेशक कारखाना, बिजनौर एवं सुश्री प्रीति सोम, श्रम प्रवर्तन अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 11.04.2025 को की गयी थी। दुर्घटना के सम्बन्ध में किये गये निरीक्षण में सहायक निदेशक कारखाना के अनुसार कारखाना अधिनियम 1948 एवं उत्तर प्रदेश कारखाना नियमावली 1950 के अन्तर्गत धारा 31(2) सहपठित नियम 56 के उपनियम (3) व उप नियम (4) के उल्लंघन कारखाने में प्रथम बार पाये जाने का प्रमाण पत्र संलग्न कर कम्पाउण्डिंग की सन्तुति करते हुए उप निदेशक कारखाना, मेरठ को प्रेषित किया है व उक्त की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु निदेशक कारखाना, उ०प्र०, मुख्यालय को पृष्ठांकित की है।

कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा-106 ए "उत्तर प्रदेश राज्य सशोधन" के अन्तर्गत ऐसे उल्लंघन जो प्रथम बार पाये गये हैं, उन पर शमन (कम्पाउण्डिंग) किये जाने का प्राविधान है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश शासन श्रम अनुभाग-3 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-08/2020/ 429/36-3-2020-132(सा०)/2019, दिनांक 20 मार्च, 2020 में प्रदेश के कारखानों में कारखाना अधिनियम-1948 एवं उ०प्र० कारखाना नियमावली-1950 के प्राविधानों के प्रथम बार उल्लंघन होने की दशा में केवल जुर्माना द्वारा प्रासक्केशन के पहले या बाद में (Before or after the institution of the prosecution) कम्पाउण्ड ऑफ आफसेस को क्रियान्वित किए जाने की प्रक्रिया जुर्माने की धनराशि की वैष्टरवार अनुसूची तथा कम्पाउण्डिंग प्राधिकारी हेतु प्रक्रिया को स्थापित किया गया है। इस कम्पाउण्डिंग कार्य हेतु अधिसूचना दिनांक 20 मार्च 2020 द्वारा श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश को कम्पाउण्डिंग प्राधिकारी घोषित किया गया है।

कारखाना मेसर्स द्वारिकेश शुगर एण्ड इण्डस्ट्रिज लि०, (द्वारिकेश नगर) बुन्दकी तहसील नगीना, जिला बिजनौर में दिनांक 15.03.2025 को घटित संघातक दुर्घटना के परिप्रेक्ष्य में कारखाना अधिष्ठाता- श्री विजय एस० बंका पर कारखाना अधिनियम, 1948 सहपठित उ०प्र० कारखाना नियमावली-1950 के चैप्टर-IV के अन्तर्गत धारा 31(2) सहपठित नियम 56 के उपनियम (3) व उप नियम (4) के उल्लंघन हेतु जुर्माना रु० 1,00,000/- (रुपया एक लाख मात्र) एवं कारखाना प्रबंधक श्री सुन्दर लाल पर चैप्टर-IV के अन्तर्गत धारा 31(2) सहपठित नियम 56 के उपनियम (3) व उप नियम (4) के उल्लंघन हेतु जुर्माना रु० 1,00,000/- (रुपया एक लाख मात्र) इस प्रकार कुल रूपया 2,00,000/- (रुपया दो लाख मात्र) अधिशेषित किये जाने के आदेश कम्पाउण्डिंग प्राधिकारी /श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 07.07.2025 को दिये गये हैं। अधिशेषित की गयी धनराशि को निम्न लेखा शीर्षक में तुरन्त जमा करा दिया जाये:-

मुख्य लेखा शीर्षक	:-	0230	श्रम तथा रोजगार
उपमुख्य शीर्षक	:-	00	-----
लघु-शीर्षक	:-	104	फैक्ट्री अधिनियम के अंतर्गत उगाही शुल्क
उप-शीर्षक	:-	01	फैक्ट्री अधिनियम के अंतर्गत उगाही शुल्क
व्योरेवार शीर्षक	:-	00	-----

कारखाना मेसर्स द्वारिकेश शुगर एण्ड इण्डस्ट्रिज लि०, (द्वारिकेश नगर) बुन्दकी तहसील नगीना, जिला बिजनौर के पत्र दिनांक 30.04.2025 व 03.06.2025 के द्वारा कम्पाउण्डिंग हेतु प्रस्तुत किए गये अनुरोध के दृष्टिगत उक्त आदेश निर्गत किया गया है। यदि अधिशेषित धनराशि को तत्काल जमा नहीं किया जाता है, तो सक्षम न्यायालय में नियमानुसार प्राभियोजनात्मक कार्यवाही अपनायी जायेगी।

(संदीप कुमार गुप्ता)

मुख्य निरीक्षक कारखाना, उ०प्र०  
कृते कम्पाउण्डिंग प्राधिकारी/श्रम  
आयुक्त, उ०प्र०

पत्र संख्या 1437(i-iii)एफ/आई0ई0/संघा0दुर्घ0/कम्पाउण्डिंग/

दिनांक-08-07-2025

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अधिष्ठाता- श्री विजय एस0 बंका एवं प्रबंधक- श्री सुन्दर लाल, मेसर्स द्वारिकेश शुगर एण्ड इण्डस्ट्रिज लि0, (द्वारिकेश नगर) बुन्दकी तहसील नगीना, जिला बिजनौर को इस निर्देश के साथ निर्गत कि वह इस आदेश का पालन करते हुए जुर्माना राशि तुरन्त जमा कर दे एवं इसकी सूचना को क्षेत्रीय सहायक निदेशक कारखाना, उ0प्र0, बिजनौर को उपलब्ध कराये।
2. श्री सुरेन्द्र बहादुर, सहायक निदेशक कारखाना, बिजनौर को उनके पत्र संख्या 163 एडीएफ/संघा0दुर्घ0जांच दिनांक 07/05/2025 के संदर्भ में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जुर्माना राशि तुरन्त जमा कराना सुनिश्चित करें और यदि अधिरोपित धनराशि जमा न की जाये तो प्रकरण के कालतिरोहित से पूर्व सक्षम न्यायालय में अभियोग दायर किए जाने की कार्यवाही आप द्वारा सुनिश्चित की जाए।
3. उप निदेशक कारखाना, मेरठ संभाग, मेरठ को सूचनार्थ।

Digitally signed by  
SANDEEP KUMAR GUPTA  
Date: 08-07-2025

13:19:00 कुमार गुप्ता)

मुख्य निरीक्षक कारखाना, उ0प्र0,  
कृते कम्पाउण्डिंग प्राधिकारी/श्रम  
आयुक्त, उ0प्र0

**ACKNOWLEDGEMENT**  
(NOT TO BE TREATED AS CHALLAN)  
**(श्रम तथा रोजगार विभाग, उ०प्र०)**  
**Government of Uttar Pradesh**

Transaction No.: <b>SRM250002626</b>	Transaction Date: <b>09/07/2025</b>
Assessment Year: <b>2025-2026</b>	Tax Period: <b>ONETIME</b>
Name of the Bank:	
Unique Id:	<b>09AABCD8192N1Z0</b>
Depositor Name:	<b>Dwarikesh Sugar Industries Limited</b>
Depositor Address:	<b>Dwarikesh Nagar Tehsil Nagina District Bijnor 246762</b>

Head	Description	Serial No.	Amount (in Rs.)
023000104010000	फैक्ट्री अधिनियम के अन्तर्गत उगाही शुल्क	4	200000.00
	Totals of the above heads	--	200000.00

A SUM OF Rs. 200000.00 AGAINST THE HEADS MENTIONED ABOVE --[ THROUGH NET-PAYMENT TRANSACTION ]-- ON HAS BEEN DEPOSITED BY THE DEPOSITOR.

(Depositor Remarks->Compounding under factory act)

THE BANK REFERENCE NO. RECEIVED AFTER THE TRANSACTION IS : CPAFIUJYZ0, Scroll Date:-NA

**Note:- Please contact SBI Government Business Branch, Lucknow or Director Treasury, Jawahar Bhawan,  
Lucknow referring CPAFIUJYZ0 for status of the deposit.**